

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, बरेली वृत्त, बरेली।  
पत्र संख्या:- 2850 / 14-1, बरेली, दिनांक, 24 / अप्रैल / 2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- बदायूँ में चन्दौसी-बदायूँ मार्ग एस0एच0- 43 किमी0 सं0-59 पर ग्राम मुडिया के खसरा संख्या- 210 तहसील-बिसौली जिला-बदायूँ (उ0प्र0) में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 है0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ:- आपकी पत्र संख्या- 2086/बदायूँ/21110/2016 दिनांक 10.04.2016.

महोदय,

निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, बदायूँ ने अपनी पत्र संख्या- 2202/14-1 दिनांक 15.04.2017 से अवगत कराया है कि वनाधिकार अधिनियम प्रमाण-पत्र में **Census** 2001 में वनाधिकार की स्थिति को आनलाईन एवं आफलाईन संशोधित कर दिया है।

कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0के0 सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
सा0वा0, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- 2850 (1)/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ को उनकी पत्र संख्या- 2202/14-1 दिनांक 15.04.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
सा0वा0, बरेली वृत्त, बरेली।